रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

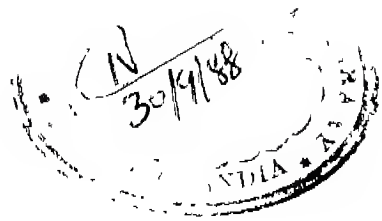

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 1988/चैत्र 9, 1910
No. 153] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 1988/CHAITRA 9, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1988

सा.का.नि. 390(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ. 134"

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 1988

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 1988 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 1987 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट राशियां, जो राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों की बाबत अनुतोष उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार

के मार्जिन धन का अंश हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

राज्य	(लाख ० में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1225.00
अरुणाचल प्रदेश	7.00
असम	362.50
बिहार	1687.50
गुजरात	1437.50
हरियाणा	225.00
हिमाचल प्रदेश	87.50
जम्मू-कश्मीर	75.00
कर्नाटक	300.00
केरल	250.00
मध्य प्रदेश	237.50
महाराष्ट्र	362.50
नागालैंड	25.00*
उड़ीसा	2092.50**
पंजाब	300.00
राजस्थान	837.50
सिक्किम	12.50
तमिलनाडु	437.50
उत्तर प्रदेश	1625.00
पश्चिमी बंगाल	1187.50

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां 1 अप्रैल, 1987 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों की बाबत अनुतोष उपलब्ध कराने के लिए उपायों पर व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किए गए ऐसे अनुतोष संबंधी उपायों पर किया गया वास्तविक व्यय, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो अतिशेष को अगले वर्ष में ले जाया जाएगा और उसका उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा।

*इसके अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के सम्बन्ध में अग्रानीत 12.50 लाख रुपए के मार्जिन धन का केन्द्र के अंश का बकाया है।

**इसके अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के सम्बन्ध में अग्रानीत 780.00 लाख रुपए के मार्जिन धन का केन्द्र के अंश का बकाया है।

(2) 1 अप्रैल, 1987 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, उप-पैरा (1) के अधीन किसी राज्य को संदेय कोई राशि या राशियां, संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1985 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में उस वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होगी या होंगी।

आर. वेंकटरामन
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(2)/88-एल.आई.]
एस. रामश्या, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1988

G.S.R. 390 (E)—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O.134"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 2 ORDER, 1988

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1988.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1987 as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it as representing the share of the Central Government of the margin money towards affording relief in connection with natural calamities in the States:—

State	(Rupees in lakhs)
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1225.00
Arunachal Pradesh	7.00
Assam	362.50
Bihar	1687.50
Gujarat	1437.50
Haryana	225.00
Himachal Pradesh	87.50
Jammu and Kashmir	75.00
Karnataka	300.00

1	2
Kerala	250.00
Madhya Pradesh	237 50
Maharashtra	362.50
Nagaland	25.00*
Orissa	2092.50**
Punjab	300.00
Rajasthan	837.50
Sikkim	12.50
Tamil Nadu	437.50
Uttar Pradesh	1625.00
West Bengal	1187.50

*Includes arrears of Centre's share of margin money of Rs. 12.50 lakhs relating to the year 1986-87 brought forward.

**Includes arrears of Centre's share of margin money of Rs. 780.00 lakhs relating to the year 1986-87 brought forward.

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 1987, on measures for affording relief in connection with natural calamities in the States;

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of that year, is lower than the sums specified above, the balance shall be carried forward to the next year and utilised for the same purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1987, shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1985.

R. VENKATARAMAN
President

[F. No. 19 (2)/88—L.I.]
S. RAMAIAH, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988